दिव्यांगों के लिए स्माईल ईयर
दिनांक २६ जनवरी, २०१७ से दिनांक २६ जनवरी २०१८ तक
ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट NGO के माध्यम से
क्रिस्टल डेन्टल केयर (डॉ. शाश्वत जैन एवं चिकित्सक दल)
दिव्यांगों व शहीद सैनिकों के जरुरतमंद परिवारों के लिए
नि:शुल्क जाँच एवं निदान के लिए प्रतिबद्ध है

મંત્ર યુગપરિવર્તક પ. પૂ. સંતશ્રી ઋષિ પ્રિતેશભાઈના
આશિર્વાદ અને માર્ગદર્શનથી શરુ થયેલ...

KRYSTAL DENTAL CARE
MULTISPECIALTY DENTAL CLINIC
DIGITAL SMILE DESIGN AND IMPLANT CENTRE
180, Titanium City Centre Mall, Near IOC Petrol Pump,
Anandnagar Road, Satellite, Ahmedabad - 380015
Clinic : 079 - 48008004

DSD
Digital Smile Design

Dr. Shashwat Jain
+91 99786 01890
M.D.S. - Prosthodontics (Manipal)
PGCOI - Implant Specialist
DSD - Digital Smile Design
TIMINGS :
10.00 am to 08.00pm

શ્રી પી. સી. જૈન
ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટની
છત્રછાયામાં ચાલતી...

દાંતના તમામ દર્દોનું
એકમાત્ર
સમાધાન સ્થળ એટલે...
ક્રીસ્ટલ
ડેન્ટલ કેર

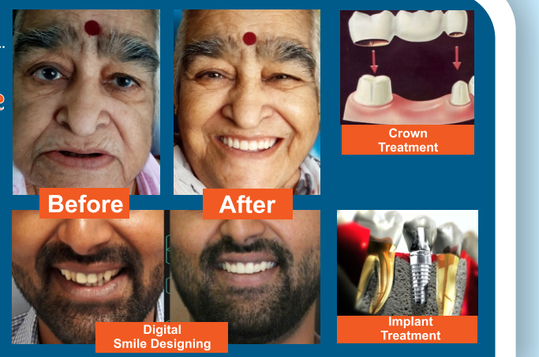

Consultant Prosthodontist
& Implantologist

- Maxillofacial Prosthetics
  - Cancer Rehabilitation
  - Trauma Rehabilitation
- Implant Rehabilitations
- Digital Smile Designing
- Full Mouth Rehabilitations
- Crowns & Veneers
- Full & Partial Dentrures

WHAT WE DO:

- Implant treatment
- Digital Smile Design
- Dentistry for aged patients
- Fixed and removable dentures
- Crowns and Veneers
- Prosthetic replacements (Eye, Ear, Nose, Fingers)
- Orthodontics
- Dentistry for Kids
- Root canal treatment
- Gum treatment
- Laser dentistry

OPG Facility available
Pick up & Drop Facility for Senior Citizens

Website : www.krystaldentalcare.com | Email: drs@krystaldentalcare.com

जनवरी २०१७ सहयोग शुल्क अंक : १

दिव्यांग सेतु

संपादक : संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

भारत के प्रधानमंत्री के मन की बात
"मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे दिव्यांगों की
सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है"

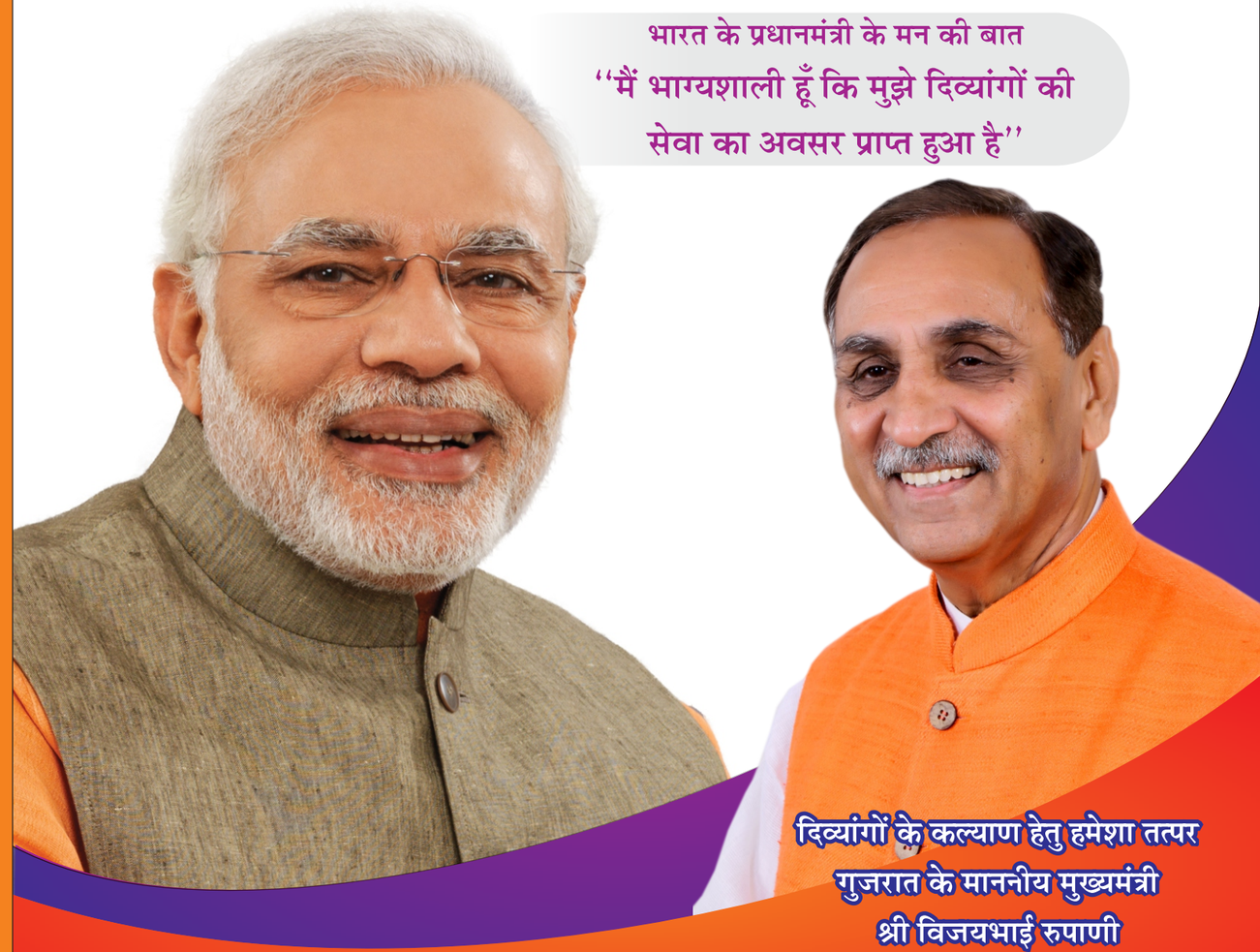

दिव्यांगों के कल्याण हेतु हमेशा तत्पर
गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री
श्री विजयभाई रुपाणी

केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के उत्कर्ष हेतु चलाई जा रही

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रल पाल्सी, ऑटीज़्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी (Cerebral Palsy, Autism, Mental Retardation, Multiple Disability) से असरग्रस्त दिव्यांगों को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रु. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु. ५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगों के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इन्श्योरेन्स मिल सकता है। (निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

- सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र
  (ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)
- वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- राशन कार्ड की प्रमाणित कॉपी
- निवास स्थान का प्रमाण (राशन कार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हों तो)
- बैंक पास बुक की फोटो कॉपी (बैंक के IFSC कोड के साथ)
- उम्र का प्रमाण (वोटिंग कार्ड अथवा जन्म प्रमाण-पत्र अथवा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र)

निरामय हेल्थ पॉलिसी का प्रिमियम ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा भरा जाएगा

दिव्यांग सेवा के पुनीत कार्य के लिए श्री प्रितेशभाई को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया

संस्था का नाम :-

संस्था का पता :-

संस्था का प्रश्न :-

mail ID :-

मोबाइल नंबर :-

लेन्डलाइन नंबर :-

आप अपनी संस्था में दिव्यांग बालकों द्वारा फुल स्केप पेज में चित्र बनवाकर हमारी संस्था में भेज सकते हैं। इन चित्रो में प्रथम तीन चित्रों को हमारी संस्था की और से पुरस्कृत किया जाएगा.

प्रथम - रु. १५००/-

द्वितीय - रु.१०००/-

एवं तृतीय रु.५००/-

चित्र के पीछे की ओर दिव्यांग बालक/बालिका/व्यक्ति का नाम, संस्था का पूरा नाम, संस्था का पता, लेन्डलाइन नंबर अथवा/एवं मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।

किसी भी संस्था की ओर से दिव्यांगो के प्रति किसी भी प्रकार की सलाह, उनकी तकलीफें, उनसे संबंधित प्रश्नों, उनके लिए किए गए कार्यक्रम, उनके विकास के लिए किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी इत्यादि हमारी पत्रिका में निःशुल्क छापी जाएगी।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

प्रेरणास्त्रोत और संपादक :

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक :

मिहीरभाई शाह

M. : 9724181999

संपर्क-सूत्र

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

ई-७२, आयोजन नगर सोसायटी,

श्रेयस क्रोसिंग के पास,

वासणा, अहमदाबाद-३८०००७

गुजरात

मोबाईल : 9974955365,

9974955125

मुद्रक :

प्रिन्ट विज़न प्रा.लि.

आंबावाडी बजार, अहमदाबाद-६.

फोन : (079) 26405200

जनवरी : २०१७

पृष्ठ संख्या : १६

वर्ष : ०१

अंक : १

सहयोग शुल्क

संपादकीय

दिव्यांग सेवा ही मानव का परम धर्म है।

मैं मेरे जीवन में हमेशा एक बात मानता हूँ एवं स्वीकार करता हूँ कि दुनिया के किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की छठी इन्द्रिय अत्यंत सतेज एवं तीव्र होती है। कुछ वर्ष पूर्व दिव्यांगों के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। परंतु ढाई वर्ष पूर्व सन् २०१४ में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए दिव्यांगों के विकास के महत्व को समझते हुए एक सकारात्मक आंदोलन की शुरुआत की है।

जिस प्रकार विकसित देशों में विकलांग व्यक्ति को "Physically Challenged Person" के तरीके से जाना जाता है, उसी प्रकार भारत के विकलांगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा "दिव्यांग" नाम दिया गया है और यह नाम सिर्फ भारत ही नहीं, वरन दुनियाभर के दिव्यांगों के लिए ऊर्जा का एक केन्द्र बिन्दु बन गया है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ नामकरण करने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ढाई वर्ष के कार्य काल में दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु, उत्कर्ष हेतु एवं दिव्यांगों की चैतन्य ऊर्जा को जाग्रत करने हेतु कई कदम उठाए एवं उन कदमों के परिणाम स्वरूप ही भारत में दिव्यांगों की परिस्थिति में काफी सुधार आया है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरु किया गया दिव्यांग सशक्तिकरण का कार्य उत्तम प्रकार से हो सके, इसी कड़ी के अंतर्गत हम ८ जनवरी २०१७ के दिन "दिव्यांग सेतु" नामक यह हिन्दी मासिक पत्रिका शुरु करने जा रहे हैं जिसमें भारत भर में रह रहे दिव्यांगों की बातें, उनके लिए किए जा रहे अच्छे कार्य, दिव्यांगों की प्रवृत्ति की जानकारी, दिव्यांगों के प्रश्नों के उत्तर एवं उनकी समस्याओं और तकलीफों को एक सशक्त आवाज मिले, इस हेतु यह मासिक पत्रिका सक्रिय रूप से काम करेगी।

- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा

३ दिसम्बर-२०१५ को

“International Day of Persons with Disabilities” के

अवसर पर दिया गया भाषण

यहाँ एकत्रित मेरे सभी साथियों एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की राह पर चलने वाले मेरे सहयोगियों।

मुझे खेद है कि मैं इस समय आप सबके साथ नहीं हूँ। आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु एवं चेन्नई शहर में निरन्तर बरसात के कारण किस तरह की आपदा आई हुई है। इस समय यह बहुत ही जरुरी है कि मैं स्वयं चेन्नई जाकर इस स्थिति का जायजा लूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मन से एवं हृदय से आपके साथ हूँ।

मैं आज यहाँ सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सब सही मायने में हमारे लिए प्रेरणा और उदाहरण हैं।

दिव्यांगता मानव जीवन की एक अवस्था है। हममें से हर एक व्यक्ति जीवन के कुछ अंतराल में अस्थायी रूप से ही सही दिव्यांगता का अनुभव कर चुका है। विशेषकर, हमारे बयोवृद्ध जनों को किसी न किसी दिव्यांगता का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं आज यहाँ सभी उपस्थित साथियों को बधाई दे रहा हूँ कि आज हम ‘सुगम्य भारत अभियान’ का शुभारंभ कर रहे हैं।

यह अभियान सच्चे अर्थों में दिव्यांगजनों के लिए फिज़िकल अथवा वर्चुअल सभी तरह की अधोसंरचना को परिवर्तित कर उसे सुगम्य एवं समावेषी बनाने का लक्ष्य रखता है। अधोसंरचना और सुगम्यता पर काम करने के साथ साथ, मैं चाहूँगा कि यहाँ एकत्रित सभी आज इस बारे में सोचें, कि क्या हम दिव्यांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? मेरी राय में शब्द अहम् है और इससे हम attitude में बदलाव ला सकते हैं।

सार्वजनिक भवनों, परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी को इतने व्यापक पैमाने पर सुगम्य बनाने का लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए मेरा आह्वान है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालय विभाग तथा राज्य सरकारें सक्रिय रूप से आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने में भूमिका निभाएँ।

कोर्पोरेट वर्ल्ड के साथियों से मेरा आह्वान है कि उन्हें भी सक्रिय रूप से आगे आकर अपने भवनों, परिवहन प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को शीघ्र ही सुगम्य बनाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूँ कि SMART CITIES मिशन में सुगम्यता अभिन्न रूप से सम्मिलित की जानी चाहिए।

जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे निरामय, साधन सहाय, संत सूरदास इत्यादि से अवगत कराया गया। १७० से भी अधिक दिव्यांगों ने इस केम्प में भाग लिया और योजनाओं में रजिस्ट्रेशन हेतु संबंधित कागजात जमा किए, जिन पर आगे की कार्यवाही ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। इस केम्प का उद्घाटन MLA श्री राकेशभाई शाह एवं कॉर्पोरेटर श्रीमती रेणुकाबेन पटेल द्वारा किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को गुजरात टी.वी. द्वारा लाइव कवर किया गया एवं संध्याकालीन खबरों में इसका प्रसारण भी किया गया।

१० अक्टूबर, २०१६

दिव्यांगों को स्वनिर्भर बनने हेतु प्रशिक्षण

दिव्यांगों को नौकरी मिलना आसान नहीं होता। उनकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए स्वनिर्भर बनने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का पहला सत्र ट्रस्ट के ऑफिस आयोजन नगर, वासणा, अहमदाबाद में आयोजित किया गया। बहुत से दिव्यांगों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक इस प्रशिक्षण में भाग लिया जहाँ उन्हें प्रोफेशनल्स द्वारा मोमबत्तियाँ एवं पेपर बैग्ज़ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

११ सितंबर, २०१६

Disabilities Awarenes Campaign के अंतर्गत ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन

११ सितंबर, २०१६ को ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रुप से कमज़ोर व्यक्तियों के प्रति जागरुकता अभियान के तहत 'Disabled are Specially Able' थीम पर पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगीता का आयोजन किया गया। यह थीम नेशनल ट्रस्ट के 'बढ़ते कदम' अभियान को समर्पित थी। आर.जी. शाह साइंस कॉलेज के करीब ५० उत्साही बच्चों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट के आयोजन नगर, वासणा, अहमदाबाद स्थित ऑफिस में किया गया था। शुरुआत में प्रतियोगियों को चाय-नाश्ता करवाया गया, तत्पश्चात् उन्हें ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट के बारे में जानकारी दी गई एवं प्रतियोगिता की थीम से अवगत कराया गया। सारे सामान एवं स्टेशनरी जैसे पेपर, कलर, पेन्सिल, पेन इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट कार की गई थी। प्रतियोगिता के पश्चात सभी प्रतियोगियों को ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा भाग लेने के सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही पहले तीन आने वाले प्रतियोगियों को ॐ ऋषि प्रितेशभाई द्वारा सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। कुल मिलाकर यह आयोजन बहुत ही सराहनीय एवं संतोषजनक रहा एवं सभी को बहुत मजा आया। सभी प्रतियोगी भी एक महान उद्देश्य का हिस्सा बनकर बहुत ही खुश थे।

२ अक्टूबर, २०१६

दिव्यांग जागरुकता केम्प

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई शाह के आशीर्वाद से २/१०/२०१६, गाँधी जयंती के पावन दिवस पर आयोजन नगर हॉल, वासणा, अहमदाबाद में एक केम्प का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को सरकार द्वारा चलाई

सुगम्य भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि इससे होने वाले परिवर्तन समाज के अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक हैं। यदि भवन एवं आवागमन के माध्यम सुगम्य हो जाते हैं तो हमारे वृद्ध नागरिक, गर्भवती बहिनें तथा छोटे बच्चों के लिए भी यह सुविधाएँ महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। एक सुगम्य भवन निश्चित ही अधिक सुरक्षित और अधिक स्वच्छ भवन होगा।

हमारा सामूहिक भविष्य सभी के सशक्तिकरण पर निर्भर है। हमारा लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जो पूरी तरह समावेशी हो। हमें ''सम'' भाव और ''मम'' भाव के मेल से समाज में समरसता बढ़ाना होगा। ''सबका साथ, सबका विकास'' की हमारी धारणा और परिकल्पना तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हम समाज के प्रत्येक हिस्से के विकास के लिए प्रतिबद्ध न हो।

आखिर में मैं Robert Hensel के शब्द दोहराना चाहता हूँ।

''मैं दिव्यांग हूँ, यह सही है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए आपसे थोड़ा अलग रास्ता लेना पड़ेगा।''

आइये हम सब मिलकर ये आगे बढ़ने के रास्ते प्रशस्त बनाएँ।

गुजरात सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ, जिनका लाभ आप ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट (NGO) के माध्यम से ले सकते हैं।

पालक माता-पिता योजना

पात्रता

- जिन बालकों के माता-पिता जीवित नहीं हैं ऐसे १८ वर्ष (विशेष परिस्थिति में १४ वर्ष) तक के बालकों के पालक माता-पिता को मासिक रु. १,०००/- की सहायता
- ३ से ६ वर्ष की उम्र के अनाथ बालकों को आंगनवाडी में भेजना होगा। ६ वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को विद्यालय में शिक्षण हेतु भेजना जरुरी होगा
- जो बालक शिक्षण बंद करेगा, उसका लाभ भी बंद कर दिया जाएगा
- आंगनवाडी में जा रहे बालकों के लिए प्रोग्राम ऑफिसर का प्रमाण-पत्र तथा विद्यालय जाते बालकों के लिए प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र हर वर्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा
- आवेदक का बालक के साथ संयुक्त नाम में बैंक एकाउंट होना जरुरी है

लाभ

- जिन बालकों के माता-पिता जीवित नहीं हैं ऐसे १८ वर्ष (विशेष परिस्थिति में १४ वर्ष) तक के बालकों के पालक माता-पिता को मासिक रु. १,०००/- की सहायता

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

- उम्र का प्रमाण-पत्र (जन्म का प्रमाण-पत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित कॉपी)
- आंगनवाडी में जा रहे बालकों के लिए प्रोग्राम ऑफिसर का प्रमाण-पत्र तथा विद्यालय जाते बालकों के लिए प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र हर वर्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा
- बालक के माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित कॉपी
- आवेदक का बालक के साथ का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- २ साक्षी के नाम
- बालक एवं पालक के संयुक्त बैंक एकाउंट की पासबुक की फोटो कॉपी (IFSC कोड के साथ)

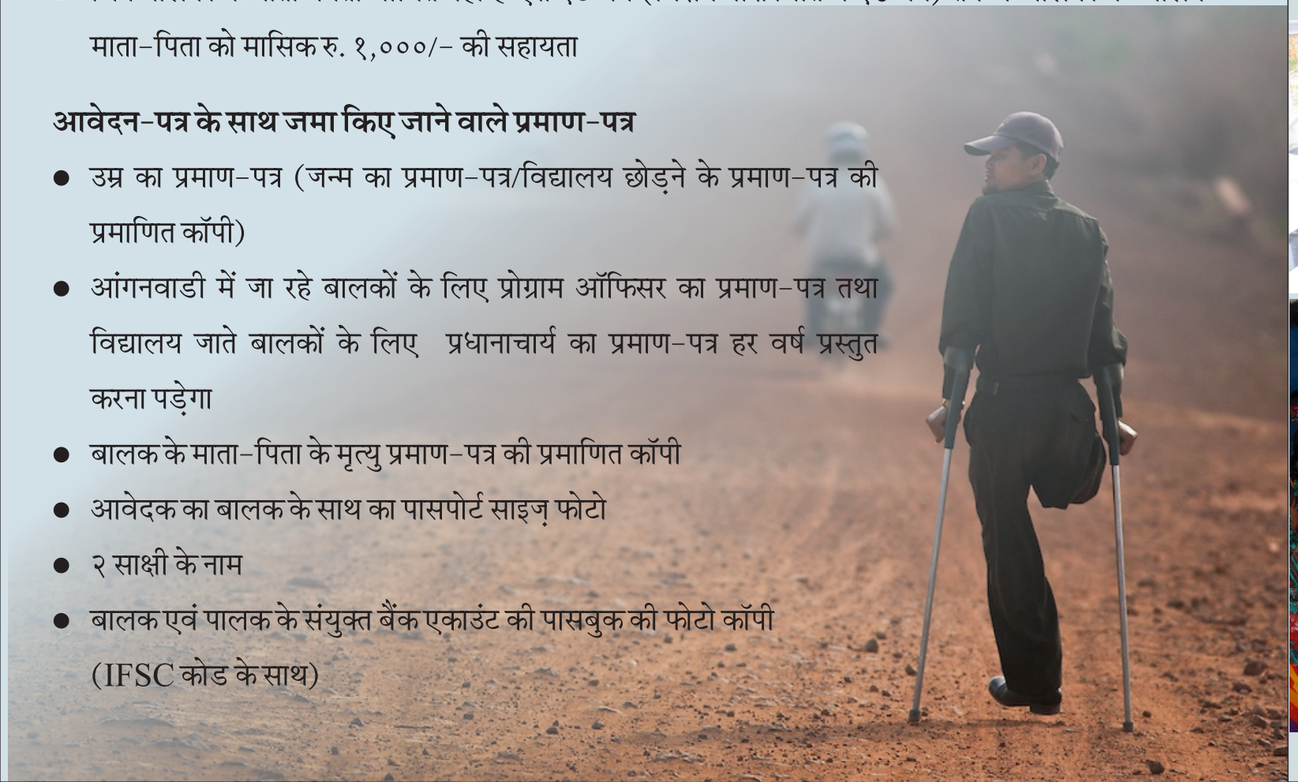

अब तक के ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट (NGO) द्वारा दिव्यांगों के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों की एक झलक...

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए अत्यंत सक्रिय है।

दिव्यांग विकास ही इस संस्था का मुख्य शिलालेख है।

१० जुलाई २०१६

पानवा गाँव में निरामय योजना एवं फिजियोथैरेपी केम्प तथा महिलाओं के लिए स्वरोजगार केम्प

१० जुलाई २०१६ को ट्रस्ट द्वारा पानवा गाँव, सुरेन्द्रनगर में एक केम्प का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन गुजरात सरकार के भूतपूर्व सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार मंत्री श्री रमणभाई वोरा द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही बीमा योजना 'निरामय' के बारे में लोगों को जागरुक करते हुए ट्रस्ट द्वारा हर आवेदक की ओर से रु. २५०/- एवं रु. ५००/- का प्रीमियम भरा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिव्यांग इसका लाभ उठा सकें। ट्रस्ट ने केम्प में आए हुए दिव्यांगो के लिए नि:शुल्क फिजियोथैरेपी सलाह का भी आयोजन किया। छोटे दिव्यांग बालकों के लिए ट्रस्ट द्वारा चित्रकला का आयोजन किया गया और साथ ही कम पढ़ी लिखी एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से मोती के ब्रेसलेट बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया जिसमें सभी ने अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लिया। उसके पश्चात् केम्प मे आए दिव्यांगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।

संत सूरदास योजना

(तीव्र/अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने की योजना)

पात्रता

- आवेदक की उम्र १७ से कम अथवा १८ से ६४ वर्ष के मध्य की होनी चाहिए
- ८०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति
- लाभार्थी के परिवार की आवक ग्राम्य विस्तार के लिए बी.पी.एल. यादी में १६ तक का स्कोर तथा शहरी विस्तार के लिए शहरी विकास की गाइड लाइन के अनुसार गुणांक धराता बी.पी.एल. लाभार्थी
- लाभार्थी के पुत्र की उम्र २१ वर्ष से अधिक न हो
- १० वर्ष से गुजरात राज्य का स्थायी निवासी हो
- दिव्यांग पहचान-पत्र होना चाहिए

लाभ

- १७ वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग व्यक्ति को मासिक रु. २००/-
- १८ से ६४ वर्ष के मध्य की आयु वाले दिव्यांग आवेदक को मासिक रु. ४००/-
- आवेदक को घर बैठे मनी-ऑर्डर अथवा पोस्ट ऑफिस या बैंक खाते में सहायता जमा करायी जाती है

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

- सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र
- दिव्यांग पहचान-पत्र
- १० वर्ष से गुजरात के स्थायी निवासी होने का प्रमाण-पत्र (राशन कार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- दिव्यांग आवेदक का २१ वर्ष से अधिक उम्र का पुत्र न होने का प्रमाण (राशन कार्ड)
- उम्र का प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण-पत्र अथवा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र)
- बी.पी.एल. नंबर स्कोर वाला प्रमाण-पत्र
- २ साक्षी
- निवास का प्रमाण (वोटिंग कार्ड अथवा आधार कार्ड अथवा राशन कार्ड)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (IFSC कोड के साथ)

सहायता कब बंद होती है

- आवेदक की उम्र ६४ वर्ष होने पर
- आवेदक के पुत्र की उम्र २१ वर्ष होने पर
- आवेदक का आवेदन-पत्र जिस महीने में मंजूर होगा, उसी महीने से आर्थिक सहायता मिलनी शुरु होगी

दिव्यांग व्यक्तियों को साधन सहाय योजना

पात्रता

- आवेदक की उम्र ५ से ५० वर्ष तक की होनी चाहिए
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति
- दिव्यांग पहचान-पत्र (एस.टी. पास) होना चाहिए
- दृष्टिहीन एवं बहरा व्यक्ति
- गुजरात राज्य का निवासी

लाभ

- दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग/अवयव हेतु बैसाखी, जूते, केलीपर्स, तीन पहियों वाली साईकिल, दो पहियों वाली साईकिल, व्हीलचेयर
- स्वरोजगार हेतु हाथ-लारी (ठेला-गाड़ी), सिलाई मशीन, मोची काम के लिए साधन, बढ़ई कार्य/इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग/ कम्प्यूटर रिपेयरिंग के साधन, एम्ब्रॉयडरी मशीन
- कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए हियरिंग ऐड साथ ही अन्य साधन सहायता
- दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए संगीत के साधन
- उपरोक्त साधन सहायता रु. ५,०००/- तक की मर्यादा में की जाएगी

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

- सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र
- दिव्यांग पहचान-पत्र की फोटो कॉपी
- गुजरात का नागरिक होने का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड अथवा जन्म प्रमाण-पत्र)
- निवास-स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- स्वरोजगार हेतु अनुभव अथवा शिक्षा का प्रमाण-पत्र

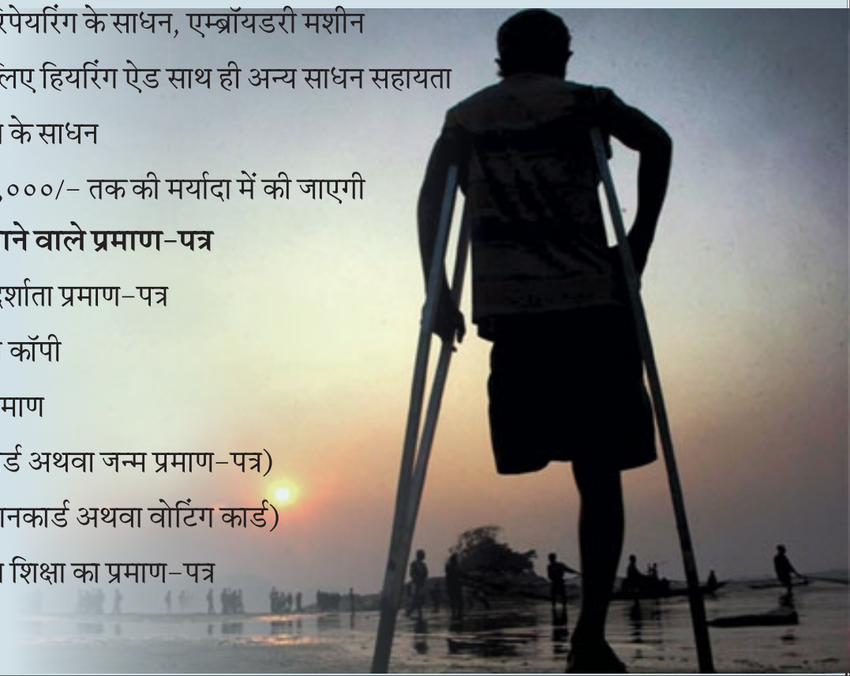

दिव्यांग (दृष्टिहीन, अल्पदृष्टि, बहरापन, हड्डियों से संबंधित कमी, मानसिक क्षति, मानसिक बीमारी) व्यक्ति के लिए दिव्यांग पहचान-पत्र देने की योजना

पात्रता

- दिव्यांग व्यक्ति ४०% से अधिक विकलांगता से असरग्रस्त होना चाहिए
- बहरा व्यक्ति
- दृष्टिहीन व्यक्ति
- ७०% अथवा उससे कम बुद्धिवाले मंदबुद्धि व्यक्ति
- गुजरात राज्य का स्थायी नागरिक

लाभ

- सरकार की योजनाओं में लाभ पाने के लिए

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

- सिविल सर्जन का दिव्यांगता प्रतिशत दिखाता प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज़ के २ फोटो
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- गुजरात राज्य के स्थायी नागरिक होने का प्रमाण-पत्र (राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड)
- ब्लड ग्रुप का प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण-पत्र अथवा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र

दिव्यांग लग्न सहाय योजना
(यह सहायता १/७/२०१४ से लागू की गई है)

पात्रता

- इस योजना के अंतर्गत पहले सहायता नहीं मिली हुई हो
- आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना जरुरी है (पति-पत्नी का जॉइंट एकाउंट)

लाभ

- पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो रु. १,००,०००/- की सहायता
- पति अथवा पत्नी दिव्यांग हो तो रु. ५०,०००/- की सहायता

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

- दोनों का विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र
- सिविल सर्जन का दिव्यांगता प्रतिशत दिखाता प्रमाण-पत्र
- दिव्यांग पहचान-पत्र की फोटो कॉपी
- राशन कार्ड की प्रमाणित कॉपी
- दोनों का संयुक्त फोटो/विवाह पत्रिका
- मेरिज सर्टिफिकेट की प्रमाणित कॉपी
- बैंक पास-बुक की फोटो कॉपी (IFSC कोड के साथ)
- निवास का प्रमाण (वोटिंग अथवा राशन कार्ड)
- २ साक्षी
- विवाह विधिसंपन्न कराने वाले पुरोहित का नाम एवं पता